



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



राष्ट्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - 200024
New India Chamber, 5th Floor, Sector-18, Gurgaon, Haryana - 200024, India. Phone: 2326696, 2324047, 2324024
E-mail: (Env.) in_srv@rediffmail.com, (Forest) gaimostrika@gmail.com

पत्र सं. 891/06/00/2018/एफओसी/15

दिनांक: 17/06/18

प्रति,

वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, आगरा प्रताप मार्ग,
आगरा, उ.प्र.

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FF/UP/Road/24614/2017)

विषय: आगरा में अक्तीवाड़ चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा खालिवर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 6 लेन चौकीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे० सरक्षित जमीन के वन अधिकारी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों/पौधों के पतन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 5065/आगरा/246145/2017 दिनांक- 28.05.2018

कारण:

अधिकांश विद्युत तार खंडित करने का काम करके विद्युतिका इन्फ्रान्त में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 12 में उल्लंघन माना सरकार की स्वीकृति योग्य है।

प्रस्ताव में विद्युतिकाएँ मुझे अथवा वन संचालक के निर्देश तब ही कि राज्य सरकार विद्युतिकाओं पर आवश्यक वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करेगी।

- 1. प्रस्ताव किए गए Joint File में प्रस्तावित वृक्ष एवं वनस्पतियों की सूची प्रस्तुत भूमि का नतीजा दिया गया है।
- 2. वन संचालक को सूचित करें।
- 3. वन संचालक को सूचित करें।

संरक्षक नृदिनांक पर उपरोक्त उल्लंघन प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

माननीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. मुख्य वन संरक्षक (वन), उत्तर प्रदेश सरकार, वन संचालक, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक कल्याण विभाग, आगरा, उ० प्र०।
4. अधिसूचना अधिनियम, निर्माण खण्ड-1 (ला० दि०), लोक निर्माण विभाग, आगरा, उ० प्र०।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय कार्यालय, लखनऊ का वेबसाइट पर ऑनलाइन हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रकाशनी।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 53497 आगरा/24614/2017, दिनांक, लखनऊ, जून 10 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित विद्युतिकाओं की वांछित विद्युतिका सूचना एवं अभिलेख को कार्यालय को शीघ्रतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित विद्युतिकाओं की वांछित विद्युतिका सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, आगरा को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिसूचना अधिनियम, निर्माण खण्ड-1 (ला० दि०), लोक निर्माण विभाग, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, आगरा को शीघ्रतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक 5785/14 आगरा, दिनांक 22/6 2018

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक (वन) आगरा को सूचित करें कि उक्त उल्लंघन आपसिद्धी का निराकरण कर उचित सखि आदेशी अधिसूचना अधिनियम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा